

wash
andalise
P: Police

p and her clothes
variyas, who sus-
Uttar Pradesh's
Monday.
dent took place at

in the angry crowd
ation. She was not
confusion and mis-
officer Ravendra

incident being
edia shows the
m even as the po-

violent, police and
g towards the po-
owing them.
ng Kanwariyas, a
ine shop counter
hibabad area on

closing the wine
matter further."
Commissioner of



मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई०टी० पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com, दूसरा: 0135-2607092

पत्रकां - यू.पी.सी.बी./एच.ओ./एन.ओ.सी.(पी.ए.व.)-7948 / 2024 / 634

दिनांक 30.07.2024

पर्यावरणीय स्थीर्कृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री मनोज कुमार जोशी, पुत्र श्री गिरीश चन्द्र जोशी, ग्राम भिनगड़ी, तहसील गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा ग्राम भिनगड़ी, तहसील गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित भिनगड़ी सोपस्टोन मार्फिंग (क्षेत्रफल-4.463 हेक्टेकर्न) की पूर्व पर्यावरणीय स्थीर्कृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये सार्य स्तरीय पर्यावरण समाचार निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्ताव के द्वारा झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना दीयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (थायासंस्थित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के सज्जानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निर्मात छ है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़ या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुमारा रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई०टी० पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद जैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ (v) कार्यालय, जिला पंचायत, पिथौरागढ़ (vi) जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़ में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.uappcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्री मनोज कुमार जोशी, पुत्र श्री गिरीश चन्द्र जोशी, ग्राम भिनगड़ी, तहसील गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा ग्राम भिनगड़ी, तहसील गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित भिनगड़ी सोपस्टोन मार्फिंग (क्षेत्रफल-4.463 हेक्टेकर्न) की पूर्व पर्यावरणीय स्थीर्कृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 03.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SOP के अधीन सोलैंस डिस्ट्रॉन्सिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुचाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

118.

Indian Exp. Delhi